कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक 182 /एल.पी.40/29/नग्रानि/जिका/2008 भोपाल,दिनांक 2/4 /2008

प्रति,

कुल सचिव,
मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्व विद्यालय,
भोपाल

विषय :– ग्राम दामखेड़ा कोलार रोड़ तहसील हूजूर जिला भोपाल खसरा क्रमांक 14/2, 17, 16/2 (पुराना खसरा क्रमांक 14,15/2/1/1, 15/1) पर रकबा 24.95 एकड़ में से 22.09 एकड़ पर विश्व विद्यालय केम्पस हेतु विकास हेतु अनापत्ति बाबत ।

सन्दर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 27.2.2008 एवं मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश क्रमांक एफ–3–103–2007–32 भोपाल, दिनांक 15.2.2008.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ मे ग्राम दामखेड़ा कोलार रोड़ तहसील हूजूर जिला भोपाल खसरा क्रमांक 14/2, 17, 16/2 (पुराना खसरा क्रमांक 14,15/2/1/1, 15/1) पर रकबा 24.95 एकड़ में से 22.09 एकड़ जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में वृक्षारोपण निर्दिष्ट है जिसका मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक–एफ–3–103–2007–32 भोपाल, दिनांक 15.2.2008 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.2.2008 को प्रकाशित अधिसूचना) द्वारा भूमि उपयोग वृक्षारोपण से सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक (कलिया सोत नदी से दोनो ओर 33.00 मीटर हरित पट्टी छोड़ते हुए) किया गया है पर संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त कुल सचिव, मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के आवेदन के संबंध में विश्वविद्यालय केम्पस जो भोपाल विकास योजना 2005 में स्वीकार्य गतिविधि है हेतु विकास योजना 2005 के बिन्दु क्रमांक 4.36 के अंतर्गत विकास हेतु अनापत्ति मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27(1) के अधीन निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जा रही है :–

(1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:–

1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959
2. मध्य प्रदेश नगर पालिक अधिनियम,1956
3. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल ।
4. भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल
5. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर ,जिला भोपाल
6. नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल
7. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी, (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में).
8. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल.
9. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

(2) इस विकास हेतु अनापत्ति के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगां।

(3) भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.36 के अनुसार विकास मापदण्ड निम्नानुसार रखना अनिवार्य होगा ।

1. शिक्षा संबंधी प्रशासन सहित (कुल भूमि का 45 प्रतिशत क्षेत्रफल)=40237.65 वर्गमीटर
   अधिकतम भूतल निर्मित क्षेत्र 20 प्रतिशत
   अधिकतम फर्शी अनुपात क्षेत्र 1:0.80 (एक अनुपात दशमलव आठ शून्य
   पार्किंग एक कार प्रति 70 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र एवं 25.0 वर्गमीटर प्रति कार (खुले क्षेत्र में) के मान से 214 कार ।
   अधिकतम ऊँचाई 12.0 मीटर

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\LP-40 bHOJ.DOC

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड़)
भोपाल

Signed by: Kishor John
Reason: For AICTE Approval
Location: Bhopal, India
Date: 05-Apr-2023 (06:26 PM)

(8)

2. आवासीय : (कुल भूमि का 25 प्रतिशत क्षेत्रफल)=22354.25 वर्गमीटर

प्रावधान	प्रस्तावित
अधिकतम भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत	4668.0 वर्गमीटर (20.88 प्रतिशत)
अधिकतम फर्शी अनुपात क्षेत्र 1:0.75	1:0.75
अधिकतम ऊँचाई 12.0 मीटर	12.0 मीटर
पार्किंग एक कार प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	168 कार
एवं 25.0 वर्गमीटर प्रति कार खुले क्षेत्र में	4200.00 वर्गमीटर

3. उद्यान एवं भू-दृश्यीकरण (कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल) 13412.55 वर्गमीटर
(कलिया सोत नदी से न्यूनतम 33.0 मीटर वृक्षारोपण खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा)

4. खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां (कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल) 13412.55 वर्गमीटर
अधिकतम भूतल निर्मित क्षेत्र 10 प्रतिशत (1341.25 वर्गमीटर)
अधिकतम फर्शी अनुपात क्षेत्र 1:0.15 (2011.88 वर्गमीटर)

(4) कलिया सोत नदी से नियमानुसार 33.0 मीटर चौड़ी हरित पट्टी छोड़ना अनिवार्य होगा ।

(5) भोपाल विकास योजना के बिन्दु क्रमांक 4.36 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।

(6) पार्किंग हेतु व्यवस्था भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4 टी 16 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 81में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप करना होगा ।

(7) रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया अपनानी होगी ।

(8) आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी ।

(9) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।

(10) नियमानुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे । इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा । स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर लिया गया हो यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगर निगम एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जावे ।

(11) स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा ।

(12) किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

(13) जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे ।

(14) भूमि का सक्षम कार्यालय से सीमांकन करवाने के पश्चात अनुमोदित विकास हेतु अनापत्ति को स्थल पर चिन्हित करवाकर, अनुमोदित विकास अनुज्ञा का स्थल पर सत्यापन इस कार्यालय से एक माह की अवधि के भीतर करवाना आवश्यक होगा जिसके आधार पर ही स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा अन्यथा नहीं ।

(15) इस विकास हेतु अनापत्ति को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।

(16) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा

(17) यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे

(18) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा ।

(19) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।

(20) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा तथा इसके निराकरण की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। अतः किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होने पर यह विकास हेतु अनापत्ति स्वमेव निरस्त मान्य होगी ।

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\LP 40 BHOJ.DOC

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)
भोपाल

eSign
Signed by: Kishor John
Reason: For AICTE Approval
Location: Bhopal, India
Date: 05-Apr-2023 (06:26 PM)

(9)

(21) संस्था एवं नगर पालिका कोलार भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

(22) प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर नगर निगम भोपाल से प्राप्त की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

(23) परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा

(24) निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी,पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें ।

(25) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह विकास हेतु अनापत्ति जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि ततक प्रवृत्त रहेगी ।

(26) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह विकास हेतु अनापत्ति मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

पृ. कमांक /एल.पी.40/29/नग्रानि/जिका/2008 भोपाल,दिनांक /2008

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कोलार रोड़,भोपाल की ओर इस ~~अनुज्ञा~~ अनापत्ति की शर्तों तथा संबंधित नियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने तथा प्रश्नाधीन भूमि पर भवन अनुज्ञा की प्रति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र कमांक 2796/3033/2005/18–3 दिनांक 19.12.2005 द्वारा जारी आदेशों के पारिपालन में इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें ।

2. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम विकास, जिला भोपाल ।

3. अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हूजूर, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\LP-40 bHOJ.DOC

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)
भोपाल

eSign
Signed by: Kishor John
Reason: For AICTE Approval
Location: Bhopal, India
Date: 05-Apr-2023 (06:26 PM)

CLR No. : 11067245350

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: दामखेड़ा			पटवारी हल्का: दामखेडा			तहसील: कोलार			जिला: भोपाल		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यौरे: फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अधियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017836256 81639EDACR90H0	14/2 (S)		0.3600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							म0प्र0 शासन, म0प्र0 भोज विशवविधालय,भोपाल

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)
भोपाल

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.06.05 15:09:46 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11067245350

CLR No. : 11067245743

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्रामः दामखेड़ा			पटवारी हल्काः दामखेड़ा			तहसीलः कोलार			जिलाः भोपाल		वर्षः 2023-2024
									फसल के ब्यौरे		
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अधियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1020360464 816109DACSNNH0	16/2 (S)		8.2900 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							म0प्र0 शासन, म0प्र0 भोज विश्वविद्यालय ना0प0क्र0 32 के अनुसार दि0 31/1/2001

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)
भोपाल

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.06.05 15:12:31 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11067245743